□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं □िरि□□□ □ल्□□□ वि□□□

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्याः 107

21 □□, **2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

संक्रामक और असंक्रामक रोग

107. **श्री** □□□□ □□□□ शि□□

क□□ **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** □□ □□□□□ी □□□ □□□ि□□

(□) क्या गत पांच वष और चालू वष के □□□□ □□ □, विशेष रूप से बिहार राज्य म, □क्र□□□ और असंक्रामक रोगों म वृद्धि हुई है;

(□) □दि □□,□□ □त□□□□ ब□□□ क□□ □□□□ □□□□क□□ □□□□ □;

(□) क्या उक्त बीमारियों के परीक्षण के लिए □□□□□ी प्र□□□□□□□□ी □□□ □□□□ □क्र□□□ रोगों की रोकथाम के लिए महंगी दवाएं सरकारी □स□□□□ी □ □ि□□ी □□ उपलब्ध नहीं ह;

(□) □दि □□,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और □□□□क□□ □□□□ □; □□

(□) □□ □□□ □□ि □□ □□□□□□ □□□□□□□ □क्र□□□, असंक्रामक और नई बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा आवंटित और खच किए गए धन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-□□□ ब□□□ क□□ □?

□त□□

स□□स्थ्य □□ □ि□□□ □ल□□□ □□ज□ मंत्री (श्री □□श्□□□ □□□□ □□□)

(□) □□□(□): □□□□□ □ि□ि□त□□ अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा हाल ही म प्रकाशित “□ि□□: □ल□ □□ □□न□ स□□ - द इंडिया स्टेट लेवल डिज़ीज बडन इनीशिएटिव” □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ज□ी □ □□□ □ख□□ प्र□ते□ □□-□□□ी □□□ी (□□□□□□) □□□□□□□ □ 1990 □ □□□ 30% □□□ □ख□□ □□2016 □ 55% की वृद्धि दशाती है।

आईसीएमआर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश म पिछले चार वर्षों के दौरान कसर के [illegible]ज[illegible]/[illegible] [illegible]ज[illegible] क्षेत्र-वार मामलों का विवरण अनुलग्न[illegible]-I [illegible]

[illegible]-संचारी रोगों (एनसीडी) म वृद्धि के लिए जिम्मे[illegible] [illegible]थ[illegible] [illegible]स[illegible]स[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

([illegible]) [illegible] ([illegible]): स[illegible]स्थ्य [illegible]ज[illegible] [illegible], कद्र सरकार गैर-संचारी रोगों हेतु राज्य [illegible] [illegible]प्र[illegible] [illegible] सहायता करती है। कद्र सरकार द्वारा उठा[illegible] गए कुछ कदम निम्ना[illegible]:

(i) राष्ट्रीय कसर मधुमेह हृदवाहिका रोग एवं पक्षाघात रोकथाम एवं नियंत्रण कायक्रम ([illegible]) [illegible]द्देश[illegible] को राष्ट्री[illegible] स[illegible]स्थ्य [illegible] ([illegible]) [illegible] स[illegible] [illegible]यक्रमों हेतु कायान्वित किया जा रहा है, [illegible], शीघ्र निदान, [illegible]रू[illegible] सृजन तथा उपचारहेतु किसी उपयुक्त स[illegible] [illegible]स[illegible] [illegible]

(ii) व[illegible]पक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचया के एक भाग के रूप म एनएचएम के अंतगत देश के 215 [illegible]-[illegible] ([illegible], [illegible]च[illegible] [illegible]क[illegible], स[illegible] [illegible]) [illegible], नियंत्रण जांच एवं प्रबंधन हेतु एक [illegible]ख[illegible] स[illegible] [illegible]

(iii) कसर के निदान सहित तृतीयक परिचया हेतु सुविधाएं बढ़ाने के लिए कद्र सरकार देश के [illegible]न[illegible] भागोंम राज्य कसर संस्थानों (एससीआई) एवं तृतीयक परिचया और कसर कद्रों (टीसीसीसी) की स्थापना करने को सहायता देने हेतु तृतीयक परिचया कसर कद्र सुदृढ़ीकरण योजना को कायान्वित कर रहा है।

(iv) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य से सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतगत नए एम्स [illegible]न[illegible] [illegible]स[illegible] [illegible]न[illegible] पहलुओं म संकद्रण [illegible]

(v) [illegible]ज[illegible]र (हरियाणा) म राष्ट्री[illegible] [illegible] [illegible]स[illegible]न (एनसीआई) को और चिरंजन राष्ट्री[illegible] [illegible] [illegible]स[illegible], कोलकाता के दूसरे परिसर की स्था[illegible] [illegible]

(vi) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) देश भर म पैनलबद्ध अस्प[illegible]ों ([illegible] सावर्जानिक एवं निजी) म सेवा बिंदुओं पर लाभार्थियां [illegible] 10 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी परिवारां को 5,00,000/- रु. [illegible] विशेषज्ञ सर्मिति द्वारा 1350 से भी अधिक चिकित्सा पैकेजां को अंतिम रूप दिया गया [illegible]

([illegible]): राष्ट्री[illegible], [illegible], हृदवाहिका रोग और पक्षाघात रोकथामएवं नियंत्रण कायक्रम ([illegible]) [illegible] 2015-16 से राष्ट्री[illegible] स[illegible]स्थ्य [illegible] फ[illegible]क[illegible] म मिला दिया गया है। पिछले तीन वर्षां के दौरान एनसीडी फ्लैक्सी [illegible] निगत निधि [illegible]-II [illegible]

तृतीयक परिचया कसर कद्र सुदृढ़ाकरण योजना के अंतगत एससीआई और टासीसीसी का स[illegible]ज[illegible] सरकारां को कद्रीय अंश का पहला किश्त [illegible]रू[illegible] [illegible]ज[illegible]/[illegible]ज[illegible] क्षेत्र-वार निगत निधि का विवरण अनुलग्न[illegible]-III [illegible]

***

□□□□ □ विभिन्न राज्यों / कद्र शासित प्रदेशों म कंसर के मामलों को अनुमानित घटना - □□□ □□□□ (2015 □□2018) * - दोनों लिंग				
□□ज□	2015	2016	2017	2018
□म□□□□ □ □श□□	14864	15652	16480	17351
हिमाचल प्रदेश	7722	8029	8348	8679
□□□□	31214	32474	33781	35137
□□□□	1217	1274	1335	1398
□त□□□□	11796	12381	12995	13640
□ि□□□□	29240	30611	32049	33558
दिल्ली	19168	20015	20899	21821
□□□स□□	79160	82836	86675	90686
उत्तर प्रदेश	233659	245231	257353	270053
ि□□□	123949	130628	137656	145051
ि□□क्के□□	473	479	485	490
□रु□□□□ प्र□□	1252	1272	1292	1313
□□□□□	1294	1300	1309	1318
□ि□□□	2916	2998	3082	3168
ि□□□□	1618	1652	1687	1723
त्रि□□	2169	2199	2229	2260
□□□□□	3246	3311	3376	3442
□□□	31474	31825	32177	32530
□□श□□ □□□□	103532	107906	112466	117220
□□□□□	38947	40959	43071	45289
□ि□□□	47666	49674	51763	53936
□त□□□□□	30239	31817	33477	35223
□ध□ प्र□□	85078	89315	93754	98403
□□□□□	70171	73551	77097	80820
□□□ □□ □ी□	385	440	504	579
□□□□ □□ □□□ □□□ी	457	497	542	591
□□□□ष्ट्र	127390	132726	138271	144032
□□□□□□	40177	41939	43784	45713
□ध प्र□□	55776	58072	60475	62978
□□□□□	70302	73511	76867	80381
□□□□	1655	1726	1801	1881
□क्षद□□□	82	89	96	104
□□□	39672	42004	44566	47382
□ि□□□□□□	78512	80999	83554	86180
पांडिचेरी	1510	1596	1687	1783
□□□□□ □□ ि□□□□□ द□□□ □□□	415	429	443	458
□□	1388397	1451417	1517426	1586571
Ref: **तीन साल को रिपोट** PBCRs: 2012-2014, □□□रु, 2016				
* **भारत के लिए अनुमानित कंसर के मामलों को गणना अनुमानित घटना दर और □□□ख□□** (ट□□के□-□□) □□ □□□□□ □□□□□ी □□ □□□				

□□□ग□□-II

□□□□□ फ□क□□-□□ 2015-16, 2016-17, 2017-18 □□ 2018-19 □□□□□ □ज□□□□ f□□□□

□ज□/□□ □ज□ क्षेत्र	एनएचएम फ्लेक्सी पूल-□□ □□ □□ □□□□□ f□□□□			
	2015-16	***2016-17***	***2017-18***	***2018-19 (31.03.19 □□)***
f□□□□	*2234*	1804	4726	5141
□त□□□□	*847*	1485	3469	2115
□□□□□	*1057*	1511	0	2153
□ध□ प्र□□	*2682*	3540	5048	3363
□f□□□	*1619*	1955	1785	1857
□□□स्□□□	*2704*	2678	6378	3391
उत्तर प्रदेश	*5439*	7181	15132	10232
f□□□□□ प्र□□	*478*	324	644	605
जम्मू और कश्मीर	*816*	1459	2357	1386
□त□□□□□	*662*	890	186	1268
□ध्र प्र□□	*1478*	3082	3645	2466
□□□□□□	*941*	1123	2012	1763
□□□	*23*	0	0	0
□□□□□	*2098*	2132	4754	3006
□f□□□□	*493*	380	1388	717
□□□□□	*1429*	2134	8284	2007
□□□	*518*	693	1211	1311
महाराष्ट्र	*2754*	3768	6208	0
□□□□	*671*	835	1726	1182
□f□□□□□□	*1716.00*	2145	5461	3036
□□शे□ □□□□	*1303*	2485	2303	2351
□□□□□	*69*	46	109	84
दिल्ली	*223*	564	1289	395
□□□□ी	*29*	39	125	137
□□□□□ □□ f□□□□□ द□□□ □□□□	*55*	121	108	0
□□□□□ □□ □□□ □□□ी	*63*	82	89	62
□□□ □□ □ी□	*35*	39	19	0
□क्षद□□□	*7*	0	0	0
□रु□□□□ प्र□□	*570*	841	1606	974
□□□	*3578*	5533	6046	1113
□f□□□	*308*	250	675	416
□□□□□	*246*	531	779	0
f□□□□□	*142*	214	1297	356
□□□□□	*263*	183	637	304
f□□क्के□□	*95*	158	115	159
त्रि□□	*255*	266	821	664
□□ □□□	**37900**	**50471**	**90432**	**54014**

अनुबंध-III

[illegible] कैंसर [illegible] सुदृढ़ीकरण [illegible] राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्रों (टीसीसीसी) की सूची (जून 2019 तक)

([illegible] रु. [illegible])

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	एससीआई / टीसीसीसी	स्वीकृत परियोजना की लागत (राज्य हिस्सेदारी सहित)	केंद्रीय हिस्सेदारी 1 [illegible]
1	आंध्र प्रदेश	कुरनूल मेडिकल कॉलेज, कुरनूल	एससीआई	120.00	54.00
2	असम	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गुवाहाटी	एससीआई	119.90	80.9325
3	बिहार	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	एससीआई	120.00	33.06
4	दिल्ली	लोकनायक अस्पताल	टीसीसीसी	39.82	29.87
5	गुजरात	गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	एससीआई	120.00	67.50
6	गोवा	गोवा मेडिकल कॉलेज, पणजी	टीसीसीसी	45.00	20.25
7	हरियाणा	सिविल अस्पताल, अंबाला कैंट	टीसीसीसी	45.00	20.25
8	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला	टीसीसीसी	45.00	14.87
9	हिमाचल प्रदेश	श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, मंडी	टीसीसीसी	45.00	29.6362
10	जम्मू और कश्मीर	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर	एससीआई	120.00	47.25
11	झारखंड	राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची	एससीआई	51.00	22.95
12	कर्नाटक	किदवई मेमोरियल कैंसर विज्ञान संस्थान (एससीआई), बेंगलुरु	एससीआई	120.00	67.50
13		मंड्या आयुर्विज्ञान संस्थान, मंड्या	टीसीसीसी	38.35	17.257
14	केरल	क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, तिरुवनंतपुरम	एससीआई	102.35	46.957
15		सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोझिकोड	टीसीसीसी	44.50	25.03
16	मध्य प्रदेश	[illegible] मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर	टीसीसीसी	42.00	18.90
17	महाराष्ट्र	राष्ट्रसंत टुकडोजी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, नागपुर	टीसीसीसी	44.9910	20.176
18		सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद	एससीआई	96.70	43.515
19		[illegible] एवं अनुसंधान केंद्र, [illegible]	टीसीसीसी	45.00	20.25
20	मिजोरम	मिजोरम राज्य कैंसर संस्थान, आइजोल	टीसीसीसी	44.27	14.64
21	नागालैंड	जिला अस्पताल, कोहिमा	टीसीसीसी	43.50	13.23
22	ओडिशा	आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, कटक	एससीआई	79.62	35.829
23	पंजाब	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर	एससीआई	114.61	51.58
24		सिविल अस्पताल, फाजिल्का	टीसीसीसी	44.71	20.119
25	राजस्थान	[illegible] मेडिकल कॉलेज, [illegible]	टीसीसीसी	45.00	17.123
26		[illegible] मेडिकल कॉलेज, [illegible]	एससीआई	119.25	44.8077
27		[illegible] मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, [illegible]	टीसीसीसी	43.90	19.755
28	सिक्किम	सोचियांग म अर्तिविशेषज्ञता हॉस्पिटल (सिचे) [illegible], सिक्किम	टीसीसीसी	42.99	29.02
29	तमिलनाडु	कैंसर संस्थान (डब्ल्यूआईए), अड्यार, चेन्नई	एससीआई	120.00	67.38
30	तेलंगाना	[illegible] कैंसर विज्ञान एवं [illegible] संस्थान, हैदराबाद	एससीआई	112.70	18.12
31	त्रिपुरा	कैंसर अस्पताल (आरसीसी), अगरतला	एससीआई	81.50	55.00
32	उत्तर प्रदेश	[illegible] स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	टीसीसीसी	45.00	11.43
33	पश्चिम बंगाल	सरकारी मेडिकल कॉलेज, [illegible]	टीसीसीसी	39.54	22.24
34		[illegible] मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, [illegible], [illegible]	टीसीसीसी	32.15	10.9843
35		[illegible] दत्त [illegible] मेडिकल कॉलेज एवं संस्थान, [illegible]	टीसीसीसी	45.00	20.25

टिप्पणी: [illegible] केंद्रीय हिस्सेदारी 60% (पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 90% तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%) है।

******